



JALAUN POLICE

“Operation Conviction”

दिनांक 13.08.2026

पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन एवं थाना चुर्खी पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय एडीजे प्रथम कोर्ट उर्ई जनपद जालौन द्वारा 01 अभियुक्त को दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास एवं 42,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त राजेश साहू पुत्र छोटेलाल निवासी चुर्खी व थाना चुर्खी जनपद जालौन के विरुद्ध थाना चुर्खी पर मु०अ०सं० 162/19 धारा 302/201/376 भादवि पंजीकृत किया गया था। "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत मॉनीटरिंग सेल व थाना चुर्खी पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय एडीजे प्रथम कोर्ट उर्ई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त राजेश उपरोक्त को दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास एवं 42,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



श्री हुदेश पाण्डेय
ADGC



प्र०नि० मॉनिटरिंग सेल
श्री परमहंस तिवारी



हे०का० महेन्द्र प्रताप सिंह
कोर्ट मुहरिर



का० अक्षत मिश्रा
कोर्ट पैरोकार

jalaunpolice

